राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची

पत्रांक–स्था0–23/2016.................रा0स0 राँची, दिनांक–..............

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नव वर्ष 2020 के अवसर पर राजभवन/राज्यपाल सचिवालय, राँची के उपयोग के लिए राजभवन डायरी 2020 के मुद्रण हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सूचना भवन अवस्थित राज्यपाल सचिवालय, राँची के लेखा शाखा में दिनांक–17/02/2020 अपराह्न 04:00 बजे तक स्वीकार की जायेगी एवं दिनांक–18/02/2020 अपराह्न 04:00 बजे संयुक्त सचिव के कार्यालय कक्ष में निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता मुहरबंद लिफाफे दर्ज करेंगे।

निविदा के नियम एवं शर्ते निम्नलिखित हैं :–

1. डायरी 2020 के मुद्रण की विशिष्टियाँ निम्न प्रकार हैं- **Size-**18x24cm, **Pages-**440 pages text on 80 GSM natural shade paper and 32 pages multi coloured on 130 GSM art paper, **Binding-** gold printing on front and back cover, Hard bound, **Language** – Bi lingual (Hindi & English).
2. डायरी मुद्रण की कुल संख्या 1,000 (एक हजार) है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
3. निविदा दो लिफाफो में Technical Bid एवं Financial Bid अलग–अलग सील करके दोनों लिफाफे को एक बड़ा लिफाफा में सीलबंद करके जमा करना होगा। Technical Bid सही पाये जाने पर ही Financial Bid खोला जायगा।
4. प्रतिभूति राशि (security money) के रुप में "Governor's Secretariat, Ranchi" के नाम से रू0 2,000/- (दो हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
5. GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को शपथ–पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है।
7. डायरी प्रकाशन का 3वर्ष का अनुभव/प्रमाण(यदि हो तो) संलग्न करना होगा।
8. डायरी प्रकाशन ~~की~~ turnkey आधारित होगा। राज्यपाल सचिवालय के निदेश के आलोक में प्रकाशक को विभिन्न कार्यालयों के पदाधिकारियों के नाम उनके टेलिफोन/मोबाईल नम्बर का संकलन कर प्रकाशित करना होगा।
9. निविदा समिति को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10. निविदा उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय के नाम से समर्पित करना होगा।
11. जिस किसी निविदा दाता का निविदा स्वीकृत किया जायेगा वे निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। कार्य करने से इंकार करने पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि को जब्त कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा।

प्रधान सचिव के आदेश से,

Aradhana 10/02/2020

(अराधना)